Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

Knowledgeable Research

ISSN 2583-6633

Vol.02, No.10, May, 2024

http://knowledgeableresearch.com/

किशोर न्याय-बोर्ड की कार्यप्रणाली व चुनौतियॉ

[1]डॉ0 संजीव गंगवार, [2]डॉ0 राजीव शुक्ला

[1]सदस्य किशोर न्याय बोर्ड, फर्रूखाबाद

[2]अर्थशास्त्री दि स्टेट ट्रेनिग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

Email: sanjeevgangwar827@gmail.com

****

शोध सार:

प्रस्तुत शोध-पत्र जो कि श्किशोर न्याय-बोर्ड की कार्यप्रणाली व चुनौतियॉ श् शीर्षक पर आधारित है शोध-पत्र बच्चों के न्याय हित में ऐसे महानुभावों को समर्पित जो कि बाल-न्याय के क्षेत्र अपनी अहम् रूचि व भुमिका रखते हैं, इसी लिये पुस्तक को अधिक से अधिक उपयोगी बनाने हेतु शोध-पत्र निम्राण में आरेख;क्पंहतंउ उवकमसद्धमॉडल को अपनाया गया है जिसके अर्न्तगत किशोर न्याय की कार्यप्रणालियों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास कर लेखन कार्य में कई अनुभवी विद्वान अधिवक्ताओं के साथ किशोर न्याय बोर्ड फर्रूखाबाद व न्यायपीठ-बाल कल्याण समिति फर्रूखाबाद के अनुभवों को विशेष रूप से साझा किया गया, शोध-पत्र में किशोर न्याय-बोर्ड में कार्य करने की सामान्य कार्यप्रणालीयों के साथ उसके व्यवहारिक पटल पर आने वाली चुनौतियों से अवगत कराने,तथा बोर्ड की समानान्तर दूसरी इकाई न्यायपीठ-बाल कल्याण समिति जो कि बच्चों के देख-रेख और संरक्षण के क्षेत्र में अपनी अह्म भूमिका का निर्वाह करती है,के व्यवहारिक पहलुओं के साथ किशोर न्याय(बालकों की देख-रेख और संरक्षण)अधिनियम-2015 की कुछ सामान्य जानकारियों को भी स्थान दिया गया जिनका ज्ञान उस हर व्यक्ति को होना आवश्यक है जो कि बाल-न्याय के न्यायिक क्षेत्र में किसी भी रूप में,फिर वे चाहें अधिवक्ता हो,या न्यायिक कार्मिक तथा पुलिस विभाग सभी को होना अति-आवश्यक है इसके अभाव में बाल-न्याय में वेहतर भूमिका की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

सूचक शब्द:- *किशोर न्याय-बोर्ड, आरेख* ***(Diagram model)****, राष्ट्र सम्मेलन***(UNO)***, जे0जे0एक्ट-2015, भारतीय दण्ड संहिता ;आई0पी0सी01860,अपचारी बालक,बिधि-उल्लंघन, यूनिसेफ*

****

शोध-पत्र की उपयोगिता:- हमें पूर्ण-आशा है की यह शोध-पत्र किशोर न्याय-बोर्ड,बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय(बालकों की देख-रेख और संरक्षण)अधिनियम-2015 के प्रचार-प्रसार, के साथ शोध व प्रशिक्षण केद्रों पुलिस व न्यायिक ट्रेनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। साथ ही शोध-पत्र में आई त्रुटियों के लिये मैं साद्र क्षमा प्रार्थी हू।

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला

Acceptance Date: 10.05.2024

Publication Date: 28.05.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**
(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

अध्ययन की समस्या:-प्राचीन काल में बाल न्याय की स्थिति बड़ी दयनीय अवस्था में थी आज की तरह उस समयाकाल में बाल-न्यायालय व किशोर न्याय बोर्ड जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी बच्चों व वयस्कों को न्याय एक ही समान प्रक्रिया द्वारा दिया जाता था तथा बच्चों को भी वयस्कों के साथ एक ही कारागार में रहना पड़ता उनके अपराधों का विचारण भी सामान्य न्यायालयों के द्वारा ही किया जाता था जिसके परिणामस्वरूप उनको भी वयस्क अपराधीयों के समान ही कानूनी प्रकियॉ से गुजरना पड़ता था और अपराधीयों के साथ रहने से उनकी मनोंदशा इतनी दुष्प्रभावित हो जाती थी कि फिर उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना असम्भव हो जाता था जिस पर सर्व प्रथम ध्यान 18वीं शताब्दी के उत्रार्द्ध में विश्व के नेताओं का इस ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने यह महसूस किया इस तरह बच्चों व समाज दोनों का भारी नुकसान हो रहा, जिसके उपरान्त विश्व के कई बौद्धिक हस्तियों ने बच्चों की समस्याओं को अपने लेखन में स्थान दिया जिस क्रम सर्वप्रथम 1760 में ब्लेकस्टोन ने अपनी किताब में यह कह कर विश्व का ध्यान आकर्शित किया कि जब तक बालक यह नहीं समझता हो कि उसने कोई अपराध किया है और साथ ही अगर उसकी कोई अपराध करने की नियत नहीं दिखाई दे रही हो, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाना चाहिए इस तरह विश्व के कई देशों में अलग से न्यायिक प्रकिया का प्रयास किया जाने लगा।

भारत में भी भारतीय दण्ड संहिता ;आई0पी0सी0द्ध1860 की धारा-82 व 83 के द्वारा बच्चों के हितार्थ कानूनी प्रावधान के साथ बालक अधिनियम, 1960 व किशोर न्याय अधिनियम, 1986 बालकों के हेतु अलग कानूनी प्रावधान किये गये, किन्तु इसका बर्तमान स्वरूप का असली जामा बालकों के अधिकार से सम्बन्धित सयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 11दिसम्वर, 1992 को भारत ने जो बादा यू0एन0ओ0 के समक्ष किया था, उसके मानदण्ड व मंशा के अनुरूप किशोर न्याय;बालकों की देख-रेख और संरक्षणद्धअधिनियम-2000 तैयार कर लागू किया गया जो कि कई संशोधनों के उपरान्त किशोर न्याय;बालकों की देख-रेख और संरक्षणद्धअधिनियम-2015 के रूप में भारत में बाल-न्याय के क्षेत्र में अनौपचारिक परिवेश प्रदान करने हेतु,बाल-न्यायालय के साथ प्रत्येक जनपद में बिधि-उल्लघंन बाले बच्चों के न्याय हेतु ;सी0आई0सी0एल0) किशोर न्याय-बोर्ड,व पीड़ित बच्चों ;सी0एन0सी0पी0) के देख-रेख और संरक्षण के बास्ते न्यायपीठ-बाल-कल्याण समितियों का गठन किया गया है किशोर न्याय ;बालकों की देख-रेख और संरक्षणद्धअधिनियम-2015 के साथ अन्य अधिनियम जैसे पाक्सो,एक्ट-2012 बाल-विवाह अधिनियम-2006 आदि एक्ट के अलावा संविधान में भी मौलिक अधिकारों के अर्न्तगत प्रावधानों में अनु015 के खण्ड;3द्ध अनु039 ;ङद्ध और ;चद्धअनु045 और अनु047 बालकों के हित सुरक्षा शक्तियों के साथ अभिभावक के कर्तव्य निर्धारित किये गये।

किन्तु इन सब के बाबजूद भी भारत में बच्चों की स्थिति जमीनी हकीकत में अधिनियम की मंशानुरूप देखी जाये तो स्थिति जस की तस बनी हुई है यह कहना किन्चित भी असत्य नही है कि भारत में ,मैन,;मनुष्य का बच्चेद्ध के बच्चों की अपेक्षा डाबर मैन;कुत्ते की एक प्रजातिद्ध के बच्चों की स्थिति ज्यादा बेहतर देखने को मिलती है जब हम दुनिया के सभ्य देशों के साथ अपने पड़ोसी देश चाईना व जापान के बच्चों की

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला
Acceptance Date: 10.05.2024
Publication Date: 28.05.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**
(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

स्थिति के सन्दर्भ में अपने बच्चों की स्थिति को देखते हैं,जहॉ बच्चे कूड़े में रोटी ढूॅढ़ते ही दिखाई नहीं देते बल्कि छोटी-मोटी गलती के परिणमस्वरूप कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद होती जिन्दगीयों को देख कर आजाद भारत में गुलाम बचपन की बात अगर कही जाये तो कोई अतिश्योक्ति नही होगा,क्यों कि भारत में लोकतन्त्र की जागुरूकता कुछ ज्यादा ही है,तभी तो गैर-बोटर जिन्दगीयों के कल्याण हेतु विश्व के संगठनों को भारत के बच्चों के लिए ऐसे मांनटिरिग करनी पड़ रही है, जैसे वो अपने बच्चों के लिए हमसे कह रहे हो, शायद यू0एन0ओ0 व यूनिसेफ,दखल न दे तो स्थिति को बद से बदत्तर होते ज्यादा समय न लगे और वह समय दूर न हो कि फिर से बंधुआ मजदूरी हेतु बच्चों का क्रय-विक्रय खुले आम किया जाने लगे, भारतीय संदर्भ में जो संगठन व संस्थायें बच्चों के हितार्थ बनाई जाती है,उनकी बैठकों में परिहासपूर्ण संवेदनशीलता के साथ कोरम् पूरा करने की संस्कृति को देखा जा सकता है,भारत के बच्चों की ये हकीकत किसी से छिपी नही है और ऐसा भी नही है कि भारतीय बच्चों को इस समस्या से निजात न दिलायी जा सके बस आवश्यकता है,सिर्फ शासन के शक्ति दिशा निर्देश की वही दूसरी तरफ भी बच्चों के न्यायिक स्थिति भी संतोषपूर्ण नही कही जा सकती वो इसलिये कि अधिनियम की मंशानुरूप न तो निश्चित समय-सीमा 4से 6 माह के अर्न्तगत ;जे0जे0-2015की धारा-14-;2द्धद्ध न्याय मिल पा रहा और न ही अधिनियम की अन्य सहूलते आसानी से मिल पा रही है इस प्रकार अपचारी बच्चों के न्यायिक चुनौतियों को बिन्दुवार प्रस्तुति में देखा जा सकता हैः-

- अधिनियम की मंशानुरूप 4 से 6 माह के अन्दर न्याय न मिलना व्यवहार में कुछ अलग हकीकत बयॉ करता है बोर्डो में 5बर्ष से 25 बर्ष तक के प्रकरण देखनें को मिलते हैं जिसके परिणामस्वरूप काफी अपचारी न्याय के इन्तजार में मानसिक विकृत हो भिक्षावृति करते देखे जा सकते हैं वहीं कुछ प्रतिभाशाली अपचारी न चहाते हुए भी काला कोट पहन वकील का पेशा अपना लेते हैं,जिनमें कुछ अपचारीयों के काफी अच्छे पदों पर सिलेक्शन होने के बाबजूद भी ज्वाइन नही हो पाते और जब से एफ0 ऑन-लाइन प्रदर्शित होने लगी तब से समस्या और अधिक बड़ गयी जबकि किशोर न्याय;बालकों की देख-रेख और संरक्षणद्धअधिनियम-2000 की धारा-19 जे0जे0-2015की धारा-24 बोर्ड द्वारा दोष-सिद्ध तक के अपचारी के अपराधिक इतिहास न बनाने की बात करता है किन्तु व्यवहार में यह सब का लाभ लेना सरल नहीं है।
- निशुल्क न्याय मिलने की अवधारणा उस समय कमजोर पड़ जाती है कि जब किशोर न्याय बोर्ड के न्यायालय परिसर से दूर संचालन को इतनी गम्भीरता से ले लिया जाता है कि बोर्ड, न्यायालय ,की आपसी आर्शिता व सह-सम्बन्ध को अनदेखा कर कई जनपदों में न्यायालय परिसर से 5 किलो मीटर से लेकर 20 किलो मीटर दूर तक बोर्डो का संचालन कर बच्चो के न्याय देने को लेकर जो मजाक की जा रही है वह एक चिन्ता का बिषय है जबकि यह जानते हुए कि अधिकॉश अपचारी अतिनिर्धन परिवारो से सम्बन्धित होते हैं इसी का परिणाम है कि कई अतिनिर्धन अपचारी अधिवक्ताओं के शुल्क की भरपाई को लेर अपराध पर अपराध करना उनकी मजबूरी बन जाती है वहीं अधिवक्ताओं का मानना है कि बोर्ड़ की न्यायालय परिसर से अधिक दूरी होने के कारण उन्हे शुल्क अधिक लेना पड़ता है तथा वह चहाकर भी अपचारियों की मद्त नहीं कर पाते है।

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला
Acceptance Date: 10.05.2024
Publication Date: 28.05.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

- किशोर न्याय-बोर्ड की कार्यप्रणाली व अधिनियम की जागरूकता का अभाव भी बच्चों के न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक जटिल बना देता है जिसके अभाव में अधिकॉश वयस्क अभियुक्तों की अपेक्षा अपचारियों को न्याय मिलने में देरी हो जाती है। इसी प्रकार बाल-अपचारियों की कई व्यथायें हैं।

अतःबर्तमान समय में किशोर न्याय;बालकों की देख-रेख और संरक्षणद्धअधिनियम-2015 बच्चो के न्याय के हितार्थ सर्वोत्तम अधिनियम है किन्तु इसकी जागुरूकता का अभाव ही इसकी मंशा को पूरी नहीं होने दे रहा जबकि अधिनियम की जागुरूकता से बच्चो को न्याय दिलाने में अधिकॉश समस्या से निजात दिलाई जा सकती है इसको ही ध्यान में रखकर शोध-पत्र प्रस्तुत किया गया,जिसमें किशोर न्याय बोर्ड की सामान्य कार्य प्रणाली के साथ बाल न्याय के अन्य व्यवहारिक पहलुओं को क्रमबार रूप में प्रस्तुत किया गया-

किशोर न्याय-बोर्ड की कार्यप्रणाली की सामान्य प्रक्रियाः-महिला एंव बाल-विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित ***(Juvenile Justice Board- Constituted under section 4 of jj Act-2015)*** *बोर्ड की सामान्य कार्यप्रणाली निम्न प्रकार है:–*

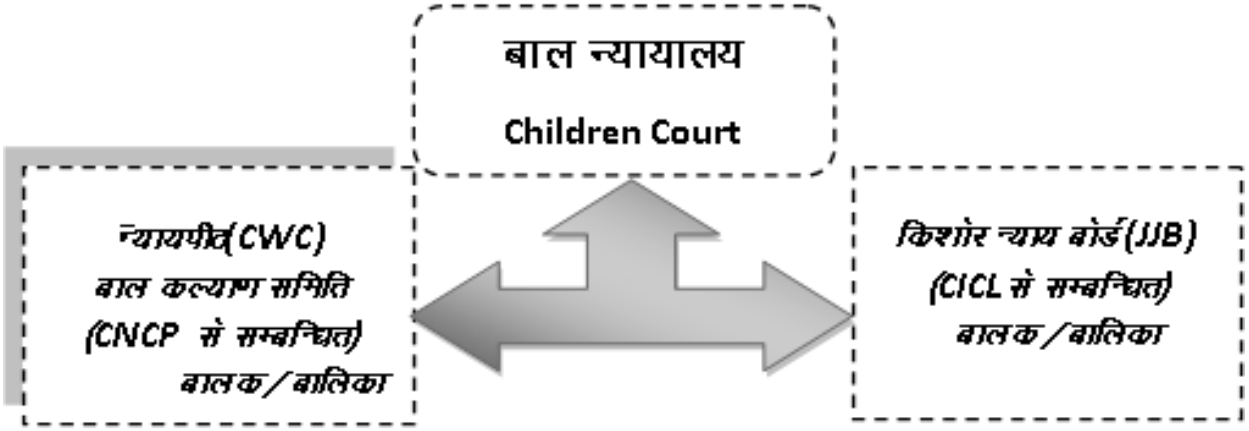

***पुलिस के सम्पर्क में आये बच्चों के प्रकार* Types of Children who come in contact with the police**

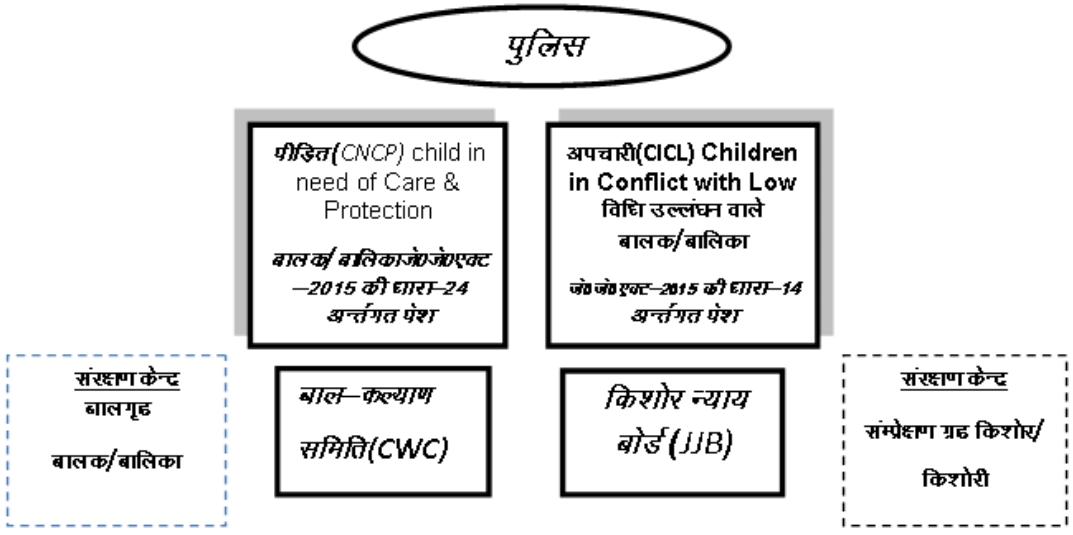

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला

Acceptance Date: 10.05.2024
Publication Date: 28.05.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

बच्चों के न्याय का सर्वोहितार्थ *अधिनियम* ***(Best Children's Justice Act)***

किशोर न्याय(बालकों की देख–रेख और संरक्षण)अधिनियम–2015 जो कि 10 अध्याय व 112 धाराओं में बटा हुआ है

अ0स0	*अध्याय का शीषर्क*	*धारा*
अध्याय–1	*प्रारंभिक* ***(Preliminary)***	*1–2 तक*
अध्याय–2	*बालकों की देख–रेख और संरक्षा के साधारण सिद्धान्त* ***(General Principles of care and protection of children)***	***3(i-xv तक i)***
अध्याय–3	*किशोर न्याय बोर्ड* ***(Juvenile Justice Board)***	*4–9तक*
अध्याय–4	*विधि उल्लघन करने वाले बालकों के सम्बन्ध में प्रकिया* ***(Procedure in Relation to Children in Conflict with law)***	*10–26 तक*
अध्याय–5	*बाल–कल्याण समिति* ***(Child Welfare Committee)***	*27–30 तक*
अध्याय–6	*देख–रेख और संरक्षण के लिये जरूरतमंद बालकों के सम्बन्ध में प्रकिया* ***(Procedure in relation to Children in Need of Care and Protection***	*31–38 तक*
अध्याय–7	*पुनर्वास व समाज में पुनः मिलना* ***(Rehabilitation and Social and Re-integration)***	*39–55 तक*
अध्याय–8	*दत्तक ग्रहण* ***(Adoption)***	*56–73 तक*
अध्याय–9	*बालकों के बिरूद्ध अन्य अपराध* ***Other Offences Against children***	*74–89 तक*
अध्याय–10	*प्रकीर्ण* ***Miscellaneous***	*90–112*

संक्षिप्तनाम (**Abbreviations**)

SJPU	Special juvenile police Unit	विशेष किशोर पुलिस इकाई
CWPO	Child Welfare Police Officer	बाल–कल्याण पुलिस अधिकारी
CNCP	child in need of Care & Protection	देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक
CiCL	Children in Conflict with Low	विधि का उल्लंघन करने बाले बालक
CrPC, 1973	Code of Criminal Procedure, 1973	दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
IPC, 1860	Indian Penal Code, 1860	भारतीय दण्डसंहिता, 1860
DUPU	District child protection Unit	जिला–बाल संरक्षण इकाई
DPO	District Probation Officer	जिला प्रोबेशन अधिकारी
NCPCR	National Commission for protection of child rights	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
SCPCR	State Commission for protection of child reights	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
CWC	Child Welfare Comittee	बाल कल्याण समिति

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला

Acceptance Date: 10.05.2024
Publication Date: 28.05.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

JJB	Juvenile Justice Board	किशोर न्याय–बोर्ड
JJ Act. 2015	Juvenile Justice Act, 2015	किशोर न्याय अधिनियम, 2015
POCSO, Act 2012	Protection of Children from Sexual offense act 2012	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012
GD ENTRY	General Daily Entry	रोज नाम चा आम
OSC	One Stop centre	वन–स्टॉप सेंटर
CAC	Crime Against Children	बच्चों के विरूद्ध अपराध
CJM	Chief judicial Magistrate	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
SBR	Social Background Report	सामाजिक पृष्ठ भूमि रिपोर्ट
SIR	Social Investigation Report	सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट

किशोर न्याय-बोर्ड के पटल की 8-प्रक्रियाय

8-Procedures at the juvenile justice Board

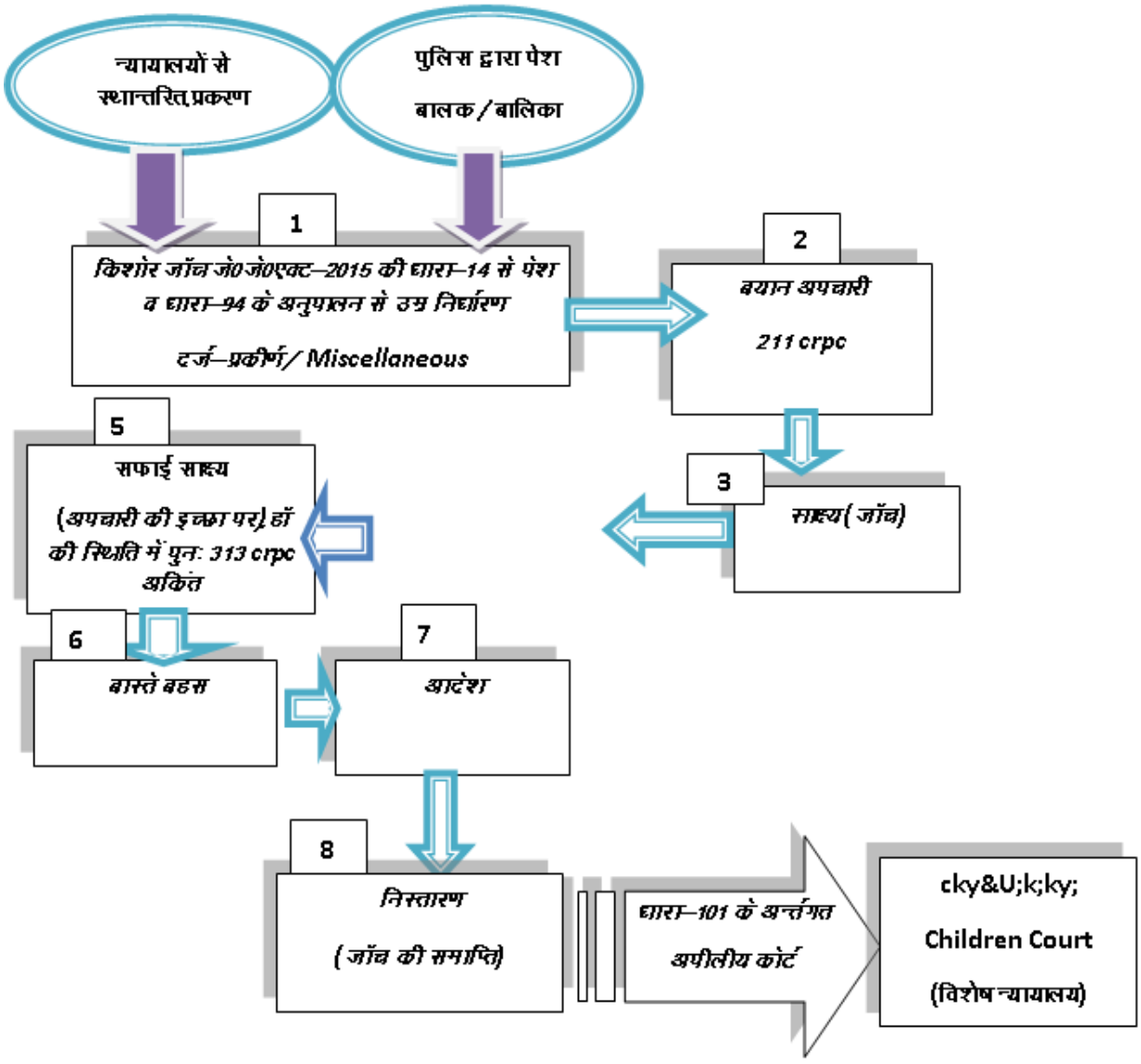

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला

Acceptance Date: 10.05.2024
Publication Date: 28.05.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**
(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

Provisions and challenges of age test under Section 94 of jj Act-2015

- *जे0जे0एक्ट–2015 की धारा–94–1:– बोर्ड (JJB) / समिति (CWC) बालक का अवलोकन कर उम्र निर्धारण कर सकता है*
- *संदेह की स्थिति में धारा–94–2 के तहत आयु परीक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसके 3 चरण हैं:–*

i-शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन कर। और इसके अभाव में

ii-निगम व नगर–पालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया जन्म–प्रमाण पत्र।

iii-और उक्त (i) व (ii) के अभाव में चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट को आधार माना जायेगा।

धारा–94 के आयु परीक्षण के प्रावधान में चुनौतियॉ

(Challenges in the age test under Provisions Section 94) :–

i-शैक्षिक अभिलेखों में अधिकॉश कूट–रचित दस्तावेजों को बोर्ड / समिति में पेश करने का प्रयास किया जाता जिसमें जघन्य अपराध करने बाले अपचारी धारा–15 से बचने हेतु अधिक प्रयास करते हैं।

ii- जन्म–प्रमाण पत्र वर्तमान में ऑनलाइन साइड पर सुल्भता से चेक हो जातें हैं किन्तु यह ध्यान रखना उचित है कि फर्जी साइडो पर भी जन्म–प्रमाण पत्र बनाये जाते हैं,इस लिये इनकी उचित जॉच आवश्यक हो जाती है।

iii- चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट की उम्र में एक बर्ष तक का नीचे की ओर उम्र निर्धारण में छूट लेने के उद्देश्य से जानबूझकर धारा–94–2 के तहत (i) शैक्षिक अभिलेखों व (ii) जन्म–प्रमाण पत्र में कूट–रचित त्रुटि कर चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट का लाभ लेने का अपचारी प्रयास करते हैं।

(किशोर न्याय–बोर्ड के अन्तर्गत अपराध के प्रकार)

Types of crimes under Juvenile Justice Board

1. *petty offence-(लघु अपराध) 3 बर्ष तक सजा वाले प्रकरण–* (जैसे– धारा 323, 504, 379, 411, भा0दं0सं0 व 9 / 25 आर्म्स एक्ट, 3आर0पी0यू0पी0 एक्ट आदि)
2. *Serious offence-(गम्भीर अपराध) 03 वर्ष से अधिक व 07 वर्ष तक सजा वाले प्रकरण–* (जैसे– धारा 506, 401, 402 भा0दं0सं0 व 7 / 8 पाक्सो एक्ट आदि)
3. *Henious offence- (जघन्य अपराध) 07 बर्ष से अधिक सजा वाले प्रकरण–* (जैसे– धारा 302, 307, (120B), 304, 392, 394, 395, 396, 376, 377 भा0दं0सं0 व 3 / 4, 5 / 6 पाक्सो एक्ट आदि)

नोट–

1–जे0जे0 एक्ट 2015 की धारा–15 के अनुसार 16 वर्ष से अधिक उम्र के अपचारियों का जो Henious Crime- (जघन्य अपराध) के अन्तर्गत आते हैं, उन अपचारियों का प्रारम्भिक निर्धारण (Psychlogical Test) के उपरान्त मनोचिकित्सक की आख्या / रिपोर्ट के आधार पर किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा प्रकरण की सुनवाई / निस्तारण हेतु बाल–न्यायालय (विशेष–न्यायालय) को स्थानान्तरित कर दिया जाता है। (जे0जे0

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला
Acceptance Date: 10.05.2024
Publication Date: 28.05.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

एक्ट 2015 की धारा 18–(3) के अन्तर्गत) बाल–न्यायालय *धारा–21 को ध्यान में रख* जे0जे0 एक्ट 2015 की धारा 19 के प्रावधान के अर्न्तगत सुनवाई करता है।

2– जे0जे0 एक्ट 2015 की धारा–15 का प्रावधान सिर्फ उन्ही Henious Offences- (जघन्य अपराधों) पर लागू होता है जो दिनांक– 15.01.2016 से या उसके बाद कारित किया गया हो, इसके पूर्व की अवधि की घटनाओं पर जे0जे0 एक्ट 2000 के प्रावधान लागू होते हैं, जिनके प्रकरण की सुनवाई/निस्तारण किशोर न्याय बोर्ड में ही किया जाता है।

किशोर न्याय बोर्ड के अधीन (CICL)बाल अपचारियों को संरक्षित करने हेतु सेल्टर होम का विवरण।,(फर्रूखाबाद के सन्दर्भ में)

Details of Shelter home for protection of Juvenile Delinquents (CICL) Under Juvenile Justice Board

जॉच की स्थिति में *(Under Investigation)*

बाल अपचारी के प्रकरण की जॉच की स्थिति और संरक्षण की परिस्थिति में उम्र के आधार पर बोर्ड द्वारा निम्न गृह/कारागार में संरक्षण प्रदान किया जाता है–

(बालक)	*(बालिका)*	*(बालक/बालिका)*
07 वर्ष से 18 वर्ष तक के अपचारी	*07 वर्ष से 18 वर्ष तक के अपचारी*	*18 वर्ष से अधिक आयु के अपचारी*
राजकीय सम्प्रेक्षण गृह (बालक) जरवा फर्रूखाबाद। (अच्छादित जनपद)	*राजकीय सम्प्रेक्षण गृह(बालिका) बाराबंकी। (अच्छादित जनपद)*	*जिला–कारागार फतेहगढ फर्रूखाबाद (सम्बन्धित जनपद)*

सजायाफ्ता की स्थिति में *(In Case of Conviction)*

उम्र के आधार पर बोर्ड द्वारा निम्न गृह/कारागार में अपचारी को निरूद्ध किया जाता है–

(बालक)	(बालिका)	(बालक)	(बालिका)	(बालक/बालिका)
07 वर्ष से 18 वर्ष तक	07 वर्ष से 18 वर्ष	18 वर्ष से 21बर्ष तक	18 से 21बर्ष तक	21वर्ष से ऊपर आयु के अपचारी
राजकीय विशेष गृह (बालक) इटावा अ0–जनपद	*राजकीय विशेष गृह (बालिका) बाराबंकी अ0–जनपद*	*राजकीय विशेष गृह (बालक) गाजीपुर अ0–जनपद*	*राजकीय विशेष गृह (बालिका) बाराबंकी अ0–जनपद*	*जिला–कारागार फते0 फर्रूखाबाद (सम्बन्धित जनपद कारागार)*

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला

Acceptance Date: 10.05.2024
Publication Date: 28.05.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

नोट– 21 वर्ष के उपरान्त ऐसे अपचारी जिनकी सजा शेष है या पूरी सजा शेष है उनको मुल्यांकन के उपरान्त (किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख व संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार शेष अवधि कारागार में पूरी करने का प्रावधान दिया है।)

बाल–कल्याण समिति (CWC) से (CNCP) बच्चों के संरक्षण सेल्टर/गृह

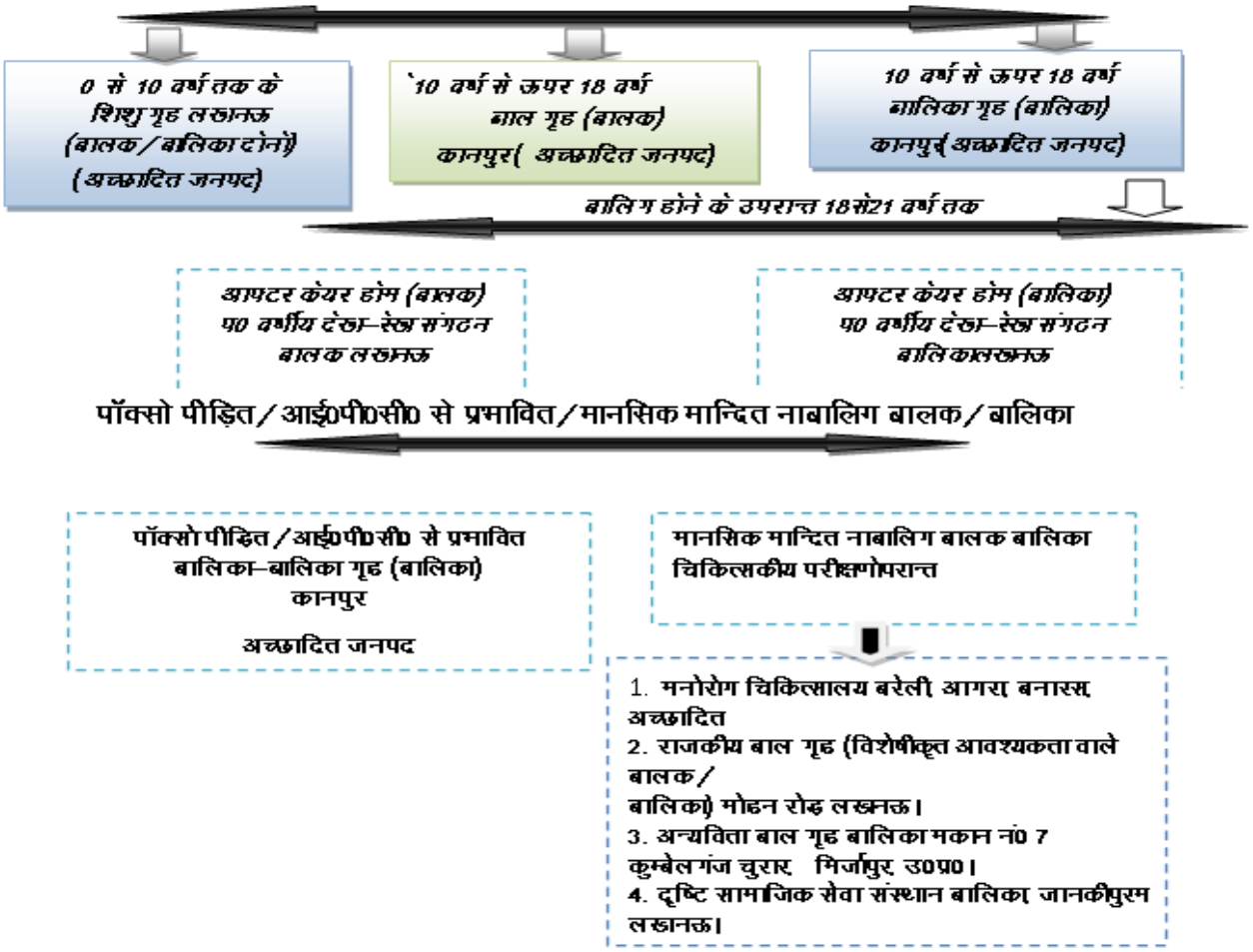

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) व जे0जे0एक्ट–2015 में बच्चों के सम्बध में कुछ प्रमुख धारायें

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में बच्चों के सम्बध में कुछ प्रमुख धारायें:–

- *धारा–82:–7 बर्ष से कम उम्र के बालक पर **FIR** दर्ज नहीं की जा सकती।*
- *धारा–83:–के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है, जो 7 बर्ष से 12 बर्ष से कम आयु के ऐसे बालक द्वारा किया जाता है जिसकी समझ इतनी परिपक्क नहीं है कि वह उस अवसर पर अपने आचरण की प्रकृति और परिणामों का निर्णय ले सके।*

जे0जे0एक्ट–2015 की बच्चों के सम्बध में कुछ प्रमुख धारायें:–

- *धारा–14:–किशोर न्याय–बोर्ड में अभिकथित अपचारी को जॉच हेतु पेश किया जाता है।*

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला

Acceptance Date: 10.05.2024
Publication Date: 28.05.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

- *धारा–14(2)(3):–प्रकरण निस्तारण की समय सीमा 4 से 6 माह (3) में 3माह का प्रावधान।*
- *धारा–36:–बाल–कल्याण समिति cwc में बच्चों जॉच हेतु पेश किया जाता है।*
- *धारा–94:–आयु परीक्षण की प्रक्रिया।*
- *धारा–17व18:–18,में अपचारी के दण्ड व 17,में समाधान का प्रावधान।*
- *धारा–15:– 16 बर्ष से ऊपर जघन्य अपराध करनें वाले अपचारी का मनो–परीक्षण कर (जे0जे0एक्ट–2015 की धारा–18–3का अनुपालन कर) अपचारी का वयस्क की तर्ज पर सुनवाई हेतु बाल–न्यायालय (विशेष न्यायालय) में स्थानान्तरण का प्रावधान।*
- *धारा–19:– बाल–न्यायालय (विशेष न्यायालय) की शक्तियॉ।*
- *धारा–21:– अपचारी बालक को आजीवन कारावाश व मृत्यु दण्ड देने की मनाही चाहें वह धारा–19 बाल–न्यायालय (विशेष न्यायालय) का प्रकरण क्यों न हो।*
- *धारा–12व 86:– जमानत का प्रावधान।*
- *धारा–98:–अवकाश का प्रावधान।*
- *धारा–83व83–2:–अपराध करानें में किसी वयस्क व गिरोह द्वारा बालक के उपयोग पर FIR दर्ज करने का प्रावधान।*
- *धारा–75:–बालक के प्रति क्रूरता पर FIR दर्ज करने का प्रावधान।*
- *धारा–76:–बालक से भीख मगानें पर FIR दर्ज करने का प्रावधान।*
- *धारा–99:–बालक से सम्बन्धित सभी रिपोर्ट को गोपनीय रखनें का प्रावधान।*
- *धारा–77–78:–बालक से मादक–पदार्थ के क्रय–विक्रय व तस्करी आदि कराने पर FIR दर्ज करने का प्रावधान।*
- *धारा–101:– अपील का प्रावधान।*
- *जे0जे0एक्ट–2000की धारा–19 व जे0जे0एक्ट–2015की धारा–24:–अपचारी बालक के अपराधिक इतिहास न बनाने का प्रावधान। जिससे अपचारी बालक का जीवन प्रभावित न हो।*

किशोर न्याय–बोर्ड का प्रसाशनिक ढॉचा ***Administrative Structure of Juvenile Justice Board***

क्0स0	*पद*	*विभाग/कार्यालय*	*कार्य*
1	*प्रधान मजिस्ट्रेट*	*न्यायालय*	*प्रकरण की जॉच/सुनवाई/निर्णय*
2	*सदस्य*	*प्रोवेशन*	*प्रकरण की जॉच/सुनवाई में सहयोग*
3	*सदस्य*	*प्रोवेशन*	*प्रकरण की जॉच/सुनवाई में सहयोग*
4	*अभियोजन अधिकारी (A.P.O)*	*जिला अभियोजन विभाग*	***J.J.Model Rules,2016** नियम–8–(8)के अनुपालन में विधिक–सलाह/परामर्श*
5	*कनिष्ठ सहायक*	*प्रोवेशन*	*पत्रावलियों व अभिलेखों का रख–रखाव*
6	*कम्प्यूटर आपरेटर*	*प्रोवेशन*	*कम्प्यूटर कार्य*
7	*चतुर्थ श्रेणी क्0*	*प्रोवेशन*	*कार्यालय में सहयोग*

सहयोगी प्रशासनिक ढॉचा ***Collaborative Administrative Structure***

क्0स0	*पद*	*विभाग/कार्यालय*	*कार्य*
1	*जिला–बाल संरक्षरण अधिकारी/जिला–परिवीक्षा अधिकारी (DPO)*	*महिला कल्याण विभाग (उ0प्र0)*	*बोर्ड की भौतिक जिम्मेदारी व **J.J.Model Rules,2016** नियम–64 के अनुपालन में बालकों की S.I.R./ प्रस्तुत करना*
2	*विधि–सहपरिवीक्षा अधिकारी*	*प्रोवेशन*	*अपचारियों का(CICL)केयर प्लान तैयार करना*

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला

Acceptance Date: 10.05.2024
Publication Date: 28.05.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

3	*लीगल एड0 कॉउसिल (LAC)*	*जिला–विधिक सेवा प्राधिकरण*	*अपचारियों को(CICL)बिधिक सहायता प्रदान करना*
4	*पैरा–लीगल वालेन्टियर(PLV)*	*जिला–विधिक सेवा प्राधिकरण*	*विधिक जागुरूकता प्रदान करना*
5	*कोर्ट–मोहर्रिर*	*पुलिस विभाग*	*न्यायिक अभिरक्षा सम्बन्धी कार्य*
6	*पैरोकार*	*पुलिस विभाग*	*साक्षीयों के सम्मन तामील कराना*

जे0जे0एक्ट 2015 की धारा–18 के अन्तर्गत दण्ड का प्रावधान (Provision of punishment undersection 18 of j.j. Act-2015):–

सुझाव और समाधान:– निम्न सुझाव बाल–न्याय में चुनौतियों को कम करने में सहायक हो सकते हैं:–

1– किशोर न्याय बोर्ड की न्यायालय आश्रिता व सह–सम्बन्ध को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की मंशानुरूप बोर्ड का संचालन न्यायालय परिसर से 500मीटर से अधिक दूर नहीं होना चाहिए,अधिक दूरी जहॉ एक तरफ प्रकरण जॉच प्रकियॉ को प्रभावित करती है,वहीं दूसरी तरफ अच्छे विद्वान अधिवक्ताओं की सेवा मिलने से बच्चे को वंचित करती हैं।

2–जे0जे0एक्ट–2015 की धारा–14(2)(3)में 4 माह से 6 माह की समय सीमा को भले ही 24 माह कर दिया जाये,किन्तु उसका अक्षरतः पालन हो, तय समय–सीमा के बहार प्रकरण चलने पर निर्दोष की स्थिति में क्षतिपूर्ति मिलने का प्रावधान किया जाये।

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला

Acceptance Date: 10.05.2024
Publication Date: 28.05.2024

Knowledgeable Research *ISSN 2583-6633* **Vol.02, No.10, May, 2024**

(An International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal)

3–जे0जे0एक्ट–2000 की धारा–19,व जे0जे0एक्ट–2015 की धारा–24 अपचारी बालक का अपराधिक इतिहास न बनाने का पालन अक्षरतः होना ही चाहिए,बोर्ड द्वारा अपचारी घोषित होने के उपरान्त पुलिस,विभाग में पुलिस सत्यापन को लेकर चरित्र प्रमाण–पत्र बनाने की स्पष्ट गाइड लाईन प्रत्येक थाने स्तर पर हो,साथ ही बोर्ड से अपचारी घोषित होने की सूचना थाने में तत्काल भिजवा अभिलेखों में कथित अपचारी को चिन्हत कर दिया जाये।

4– जे0जे0एक्ट–2015 की धारा–18 के दण्ड प्रावधानों में शिक्षा,व व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा अन्य सामाजिक सेवाओं के को भी प्रकरणों के निर्णयों में स्थान देना चाहिए।

4–12बर्ष तक की उम्र के बच्चों पर किसी भी प्रकार की एफ0आई0आर0 दर्ज न कर उनके द्वारा बिधि–उल्लंघन की स्थिति में परिवहन विभाग की तर्ज पर अभिभावक/संरक्षक पर एफ0आई0आर0 व जुर्माना करने का प्रावधान किया जाये।

5– अन्त में सुझाव यही है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित में बना किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख और संरक्षण)अधिनियम–2015 की धारा,3 में सिद्धातों को ध्यान में रखते हुए अक्षरतः पालन हो न होने की स्थिति में जिम्मेदार लोगों की जवाब देही,हों।

संदर्भ सूची–

1 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000
2 किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015
3 पॉक्सों एक्ट, 2012
4 https://hi.wikipedia.org>wiki>
5 https://www.drishtiias.com>hindi
6 https://testbook.com>ias.preparation

Author Name डॉ० संजीव गंगवार, डॉ० राजीव शुक्ला

Acceptance Date: 10.05.2024
Publication Date: 28.05.2024